न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)।

धारा 107 दं0प्र0सं0

प्रथम पक्ष– शकुन्तला देवी .... बगैरह.।

बनाम

वाद सं0 28/2021

द्वितीय पक्ष– सरिता देवी .... बगैरह।

आदेश की क्र0 सं0 एवं तिथि	दण्डाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई टिप्पणी
1 20/10/21	उक्त वाद की कार्रवाई थाना बसिया के अप्राथमिकी सं0 08/2021 दिनांक 15/04/2021 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है **प्रथम पक्ष** (1) शकुन्तला देवी उम्र 29 वर्ष पति अरूण साहु (2) अरूण साहु उम्र 31 वर्ष पिता चन्द्रपाल साहु (3) गुड़िया कुमारी उम्र 18 वर्ष पिता अरूण साहु तीनो सा0 बनई चोरोटोली थाना बसिया जिला गुमला **बनाम द्वितीय पक्ष** (1) सरिता देवी उम्र 30 वर्ष पिता अशोक साहु (2) सोनामति देवी उम्र 24 वर्ष पति रामु साहु (3) अशोक साहु उम्र 36 वर्ष पिता स्व0 पन्नालाल साहु तीनो ग्राम बनई तीनो ग्राम बनई चेरो टोली थाना कामडारा के बीच डायन बिसाही के आरोप को लेकर उभय पक्षो के बीच अशांति फैलने की सम्भावना को लेकर प्रतिवेदित किया गया है। तद्नुसार दं0प्र0सं0 की धारा 107 की कार्रवाई नियत तिथि एवं समय में कार्यवाही प्रारम्भ की गई एवं उभय पक्षो को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया । उभय पक्ष नोटिस प्राप्त कर न्यायालय में उपस्थित हुए :– वाद की कार्रवाई के दौरान उभय उक्षों द्वारा किसी प्रकार से शांति भंग करने संबंधी सूचना थाना प्रभारी बसिया या अन्य स्रोत्रो से अप्राप्त है साथ ही वाद के कार्रवाई की अवधि भी समाप्त हो चुकी है। ऐसी स्थिति में वाद की कार्रवाई बिना गुण दोष के समाप्त की जाती है। लेखापित । अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला) [stamp] [signature] अनुमण्डल दण्डाधिकारी बसिया(गुमला)। Digitally signed by JAIWANTI DEOGAM Date: 2024.09.05 13:46:44 +05:30 Location: 192.168.1.2	